**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

***निर्णय की तिथि: 29 अगस्त, 2024***

आ.प्र.अ. 75/2023 एवं सि.वि.आ. 14920/2023

गौरव मंगला .....अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री मालविका त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह सुश्री मनीषा सिंह और श्री सुजल गुप्ता, अधिवक्तागण।

बनाम

रोहित मंगला .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री संजीव बहल, सह श्री पावल अग्रवाल, अधिवक्तागण।

**कोरमः**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज जैन**

**<u>निर्णय</u> *(मौखिक)***

1. अपीलार्थी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी है।

2. प्रश्नगत वाद की कार्यवाही के दौरान, जो कि विभाजन का वाद है, वादी (प्रत्यर्थी) ने धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि चूंकि प्रतिवादी ने इस न्यायालय

द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है और वह राशि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा आ.प्र.अ 347/2010 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2013 के माध्यम से निर्देशित की गई थी, जमा करने में विफल रहा है, इसलिए आदेश XXXIX नियम 10 सि.प्र.सं. के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार उसके बचाव को नामंजूर कर दिया जाए।

3. विद्वान विचारण न्यायालय, उपरोक्त आ.प्र.अ. में इस न्यायालय द्वारा पारित विशिष्ट निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी को प्रति माह 1,00,000/- रुपये की दर से विचारण न्यायालय में किराया जमा करने का स्पष्ट निर्देश था और चूंकि उपरोक्त आदेश को प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और वह पहले ही अंतिम हो चुका था, इसलिए उपर्युक्त किराया जमा करने से भागने का कोई औचित्य नहीं था।

4. उपर्युक्त स्थिति में ही प्रतिवादी का बचाव नामंजूर कर दिया गया था और ऐसे आदेश को वर्तमान अपील दायर करके चुनौती दी गई है।

5. आ.प्र.अ में पारित उपर्युक्त आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया है।

6. प्रश्नगत संपत्ति, जिसके संबंध में प्रतिवादी को किराया जमा करना आवश्यक था, 16/5, डॉक्टर्स लेन, गोल मार्केट, नई दिल्ली है। दिनांक 04.09.2013 के उपर्युक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि ऐसा आदेश पक्षकारगण की सहमति से पारित किया गया था। उक्त अपील भी उसी अपीलार्थी द्वारा प्रापक की नियुक्ति के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। पक्षकारगण की सहमति से, नियुक्ति के ऐसे आदेश को संबंधित पक्षकारगण को कुछ निर्देश देते हुए संशोधित किया गया। उक्त आदेश का पैरा 1(ii), जो अपीलार्थी से संबंधित है, निम्नानुसार है:-

> *"(ii) जहां तक संपत्ति संख्या 16/5, डॉक्टर्स लेन, गोल मार्केट, नई दिल्ली का संबंध है, जो अपीलार्थीगण के कब्जे में बताई गई है, वह उनके कब्जे में बनी रहेगी और अपीलार्थीगण 1.9.2013 से प्रत्येक अंग्रेजी कैलेंडर माह की 10 तारीख को या उससे पहले विचारण न्यायालय में प्रति माह 1 लाख रुपये की राशि जमा करेंगे। 1 लाख प्रति माह की यह राशि इस धारणा पर तय की गई है कि पूरी इमारत को 5 लाख प्रति माह की राशि पर किराए पर दिया जा सकता है और प्रत्यर्थी का उक्त संपत्ति में अधिकतम 1/5 हिस्सा है। यदि प्रत्यर्थी न्यायालय को यह दिखाने में असमर्थ है कि उक्त संपत्ति में उसका 1/5वें हिस्से के बराबर कोई अधिकार, हक और हित है, तो उक्त राशि अपीलार्थीगण को वापस कर दी जाएगी।*
>
> *किसी भी मामले में, संबंधित पक्षकारगण द्वारा जमा की गई ये दोनों राशियाँ मामले के अंतिम निपटान के समय ऐसे आदेशों के अधीन होंगी जैसा कि विचारण न्यायालय उचित समझे। विचारण न्यायालय, यहां की गई टिप्पणियों से किसी भी प्रकार प्रभावित हुए*

*बिना, ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित और उपयुक्त समझे।"*

7. निर्देश बहुत स्पष्ट और स्पष्ट हैं लेकिन तथ्य यह है कि 04.09.2013 को पारित उपरोक्त आदेश के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक भी पैसा जमा नहीं किया गया है।

8. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह विभाजन का वाद है और वाद की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को बचाव को नामंजूर नहीं करना चाहिए था, भले ही उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन न किया गया हो। यह भी तर्क दिया गया है कि, अन्यथा भी, विपरीत पक्ष को राशि का भुगतान नहीं किया जाना था और यह केवल विभाजन के वाद के अंतिम परिणाम के अनुसार था कि विचारण न्यायालय को सही दावेदार को राशि वितरित करनी थी।

9. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, अन्यथा भी, अपीलार्थी प्रश्नगत संपत्ति को किराये पर देने में सक्षम नहीं था और इसलिए, उन्हें 1,00,000/- रुपये प्रति माह किराया देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता था।

10. इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि इतनी देरी से प्रस्तुत की गई ऐसी प्रस्तुतियां न तो विचारणीय हैं और न ही न्यायोचित हैं।

11. उपर्युक्त आदेश पहले ही अंतिम हो चुका है और यदि उपरोक्त निर्देश का पालन न करने के संबंध में दायर अवमानना याचिका खारिज भी कर दी गई होती तो भी यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण के बचाव को नामंजूर नहीं किया जा सकता था।

12. इसके अलावा, अब संचित धनराशि 1.30 करोड़ रुपये के आसपास हो गई है। उपर्युक्त निर्देश मात्र औपचारिकता नहीं हैं और अपीलार्थीगण को बिना किसी प्रतिकूल परिणाम के स्पष्ट रूप से इसकी अवहेलना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि उपर्युक्त आदेश का अनुपालन न करना, जिसमें आदेश XXXIX नियम 10 सि.प्र.सं. की स्पष्ट विशेषताएं है, हमेशा ऐसे गलती करने वाले पक्षकार के बचाव को नामंजूर करने का कारण बन सकता है।

13. इस प्रकार देखने पर, मुझे वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं दिखता। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

**(मनोज जैन)**
**न्यायाधीश**

**29 अगस्त, 2024**
**एसटी**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*